

दिनांक 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

**कोडेक्स समिति**

4010. श्री सुरेश कुमार शेटकर:  
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:  
श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने मसालों और पाक जड़ी-बूटियों संबंधी कोडेक्स समिति में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैश्विक मसाला मानकों को सुसंगत बनाने तथा व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से विनियामक चुनौतियों को कम करने के संदर्भ में बोर्ड की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किए गए निवेश और व्यय की गई धनराशि के ब्यौरे सहित इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्तर**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): मसालों और पाक जड़ी-बूटियों संबंधी कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) की स्थापना वर्ष 2013 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के 36वें सत्र में की गई थी, जिसमें भारत इस समिति का मेजबान देश था और मसाला बोर्ड इसका सचिवालय था।

समिति ने अभी तक 16 मसालों के लिए 14 पूर्ण विकसित अंतर्राष्ट्रीय कोडेक्स मानक विकसित किए हैं। सीसीएससीएच द्वारा अग्रलिखित मसालों के लिए मानक विकसित हैं: (1) काली/सफेद/हरी मिर्च, (2) जीरा, (3) अजवायन, (4) तुलसी, (5) अजवायन, (6) अदरक, (7) लहसुन, (8) लोंग, (9) लाल मिर्च-काली मिर्च और लाल शिमला मिर्च, (10) जायफल, (11) केसर, (12) हल्दी, (13) छोटी इलायची और (14) सभी मसालें, जुनिपर बेरीज और स्टार ऐनीज़ के लिए समूह मानक। ये मानक

स्वैच्छिक हैं। हालाँकि, वे कोडेक्स सदस्य देशों के लिए राष्ट्रीय विनियमों का आधार बन सकते हैं और इन मानकों को अपनाने से विनियमों में सामंजस्य लाने में मदद मिलती है, जिससे तकनीकी बाधा कम होती है और व्यापार को सुगम बनाया जा सकता है।

अभी तक, भारत में सीसीएससीएच के 7 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। सीसीएससीएच के मेजबान देश के रूप में भारत सीसीएससीएच की बैठकों की व्यवस्था करता है। इन 7 सत्रों के आयोजन पर कुल 6.99 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

\*\*\*